



केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान  
Central Sericultural Research & Training Institute  
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार  
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India  
बहरमपुर/Berhampore – 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.  
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India



दिनांक 25 फरवरी, 2015 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 102वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 102<sup>nd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee held on 25.02.2015.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (प.बं.) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 102वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2015 को संस्थान के निदेशक डॉ. एस. निर्मल कुमार महोदय की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - "क" में संलग्न है।

The 102<sup>nd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore (W.B.) was held on 25.02.2015 under the chairmanship of the Dr. S. Nirmal Kumar, Director of this Institute at 3.00 p.m. in the meeting room of the Institute. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A.

प्रारंभ में संस्थान के सहायक निदेशक (राभा) द्वारा अध्यक्ष महोदय समेत उपस्थित सभी अधिकारियों/पदधारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए यह संसूचित किया गया कि नेशनल लाईब्रेरी, कोलकाता में दिनांक 18-02-2015 को आयोजित पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राजभाषा सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल, श्री के. सी. नाथ त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल सरकार के कर कमलों द्वारा संस्थान के निदेशक, डॉ. एस. निर्मल कुमार वर्ष 2013-14 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन व अनुपालन हेतु राजभाषा शील्ड से सम्मानित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा के दौरान इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए सभी पदधारियों को बधाई देते हुए यह उद्गार व्यक्त किया कि यह उपलब्धि राजभाषा हिंदी के प्रति संस्थान के सभी पदधारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने, आगे यह भी कहा कि हमें राजभाषा प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे भी सतत प्रयत्नशील रहना है ताकि अगली बार हमें प्रथम स्थान से पुरस्कृत होने का सुअवसर प्राप्त हो सके। At the outset, AD [OL] of this institute extended warm welcome to the chairman along with all the officers & officials present in the meeting and brought into the notice of the committee that Dr. S. Nirmal Kumar, Director of this institute have got opportunity to be awarded with Rajbhasha Shield by the honourable Governor Shri K. C. Nath Tripathi, Govt. of West Bengal for due and effective implementation of the Official Language policy during the year 2013-14. The Chairman, during the course of discussion greeted to each and every officials for this special achievement and added that it is the result of collective efforts made by all the officers & officials for propagation and due compliance of the provisions of Official Language Policy. He, further opined that we should always pay special attention upon compliance of the same in future also so that we may again be able to got opportunity to be awarded with first prize during the ensuing year.

तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से संस्थान के सहायक निदेशक (राभा) द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है / Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Assistant Director (OL) of this Institute which is as given below:

**मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 101<sup>st</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.**

चर्चा के दौरान समिति को यह अवगत कराया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was appraised to the committee that copies of minutes of the 101<sup>st</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed.

**मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.**

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में द्विभाषी में प्रविष्टियाँ किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लंघन न होने पाए।

While making discussion upon entries in all service books either in Hindi or in bilingual form, It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be paid on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

**चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairman for compliance:**

1. संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिंदी व द्विभाषी में अनिवार्यता की जाए तथा इसमें लिखी जाने वाली टिप्पणी आदि मूल रूप से हिंदी में लिखा जाए। Entries in all service books available at this Institute should invariably be made either in Hindi or in Bilingual form and noting etc. may originally be written in Hindi form. (कार्रवाई: स्थापना अनुभाग)
2. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजतों को द्विभाषी में ही जारी किया जाए। Documents specified under section 3(3) must be issued in Bilingual form only. (कार्रवाई: सभी अनुभाग)
3. संस्थान में **23 मार्च, 2015** को राजभाषा हिंदी में “एक तकनीकी सेमिनार” का आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। It was also decided that “A Technical Seminar” in Official Language Hindi should be organized on **23 March, 2015** at this Institute. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
4. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट समेत बार ग्राफ भी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by nested Units of this Institute and Bar graph of the same should also be placed in the ensuing meeting. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
5. संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा किए जा रहे हिंदी पत्राचार की सर्वोपरि प्रतिशत के अतिरिक्त सभी अनुभागों का प्रभागवार तुलनात्मक वार्षिक प्रगति चार्ट आगे भी तैयार किया जाए। Over all percentage of the Hindi correspondence being made by the each and every section of the Institute may be prepared in future also along with their division-wise comparative annual progress. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

6. क्षेत्रों के, राँची में “राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में ई-टूल्स के अनुप्रयोग” पर माह अप्रैल, 2015 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की जाए। A Hindi workshop on “application of E-tools in implementation of Official Language Policy” should be organized at RSRS, Ranchi during the month of April, 2015.  
(कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
7. कंप्यूटर पर राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व व्यवहार पर संस्थान के पदधारियों का प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आगे भी जारी रखा जाए। Training in application of Official Language Hindi on computer for the officials of this Institute must be continued in future also. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
8. संस्थान के सभी प्रभागीय/अनुभागीय प्रमुखों द्वारा अपना अधिकाधिक पत्राचार हिंदी व द्विभाषी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पूर्व में प्राप्त हिंदी पत्राचार की प्रतिशत में आगे कोई भी गिरावट ना आने पाए। All the Divisional / Sectional Heads of this institute must ensure their maximum no. of transaction are made either in Hindi or in bilingual form so that their may not be any downfall in the percentage of Hindi correspondence already achieved.  
(कार्रवाई: सभी अनुभाग)
9. संस्थान के अधिकारियों/पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रॉस्टर प्वाइंट अद्यतन रखते हुए शेष बचे पदधारियों को प्रशिक्षण हेतु अगले सत्र में नामित किया जाए। To maintain the Up-to-date roster point regarding Hindi training of the Officers and Staff of this Institute and remaining officials must be nominated for the said during the ensuing session. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
10. संस्थान की आंतरिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक माह अप्रैल, 2015 के दौरान आयोजित की जाए। Ensuing meeting of the Internal Official Language implementation committee of this Institute should be organized during the month of April, 2015. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
11. संबंधित तिमाही के दौरान हिंदी व द्विभाषी पत्राचार में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अनुभागों को राजभाषा ट्रोफी योजना प्रदान किए जाने का क्रम आगे भी जारी रखा जाए। Scheme for awarding “Rajbhasha Trophy” to the sections achieved highest percentage in transaction of their correspondence either in Hindi or in bilingual form should be continued in future also. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
12. विभिन्न राजभाषा कार्यक्रमों, बैठक आदि पर उपगत राशि की लेखा-जोखा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Expenditure being incurred upon organization of different official language, programme, workshop and meeting etc. may be placed in future also. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
13. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की प्रत्येक तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की नियमित समीक्षा की जाए तथा उनके उपलब्धियों एवं कमियों को अवश्य दर्शाया जाए। Quarterly progress report regarding progressive use of Hindi of the nested units of this Institute must be reviewed regularly and their achievements/ short-comings should also be highlighted. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)
14. यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के सभी अधीनस्थ केन्द्रों द्वारा ‘ग’ क्षेत्र में अपना न्यूनतम 70% पत्राचार हिंदी व द्विभाषी में अनिवार्यता निष्पादित किया जाए। It was also decided that each and every nested unit of this institute should invariably ensure that minimum 70% of their transaction are made either in Hindi or in bilingual form even in region “C”. (कार्रवाई: सभी संबद्ध केन्द्र)

15. अगली बैठक में हिंदी पत्राचार हेतु निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्य आदि से संबंधित पीपीटी प्रस्तुत किया जाए। PPT with regard to target prescribed for region-wise Hindi correspondence must be presented during the ensuing meeting. (कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

**मद सं/Item No.3: संस्थान के अनुभागों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the monthly progress report regarding progressive use of Hindi of this institute:**

संस्थान के विभिन्न अनुभागों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सभी अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करने के अतिरिक्त रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, मानक फ़ार्म व प्रपत्र आदि को द्विभाषी में तैयार कर राजभाषा नीति एवं इसके प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को इन प्रावधानों के अनुपालन पर सम्यक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सलाह दी गई कि वे अनुभागों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नैमिक प्रकृति के पत्रादि को द्विभाषी में तैयार करा कर जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि हिंदी पत्राचार की प्रतिशत में आगे और भी वृद्धि हो सके। During the course of reviewing monthly report of the different sections of this institute, it was observed that all sections are transacting their Hindi correspondence as per the target prescribed by the Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language and letters received in Hindi are replied in Hindi only. In addition to this, full compliance of the Official Language Policy has been ensured by preparing all Rubber Seals, Name-Plate, Notice-Board, and Standard Forms in bilingual form. The Chairman, during the course of discussion laid emphasis on necessity of paying special attention upon due compliance of the said provisions and advised all the sectional Heads/In-charges to get prepared their letters of routine nature in bilingual form so that there can be more enhancement in the percentage of Hindi correspondence.

(कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग)

**मद सं/Item No.4: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:**

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3) Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-ordinate centres. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that fully compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

(कार्रवाई: सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग)

**मद सं/Item No.5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय:/Any other subject with the permission of the chairman.**

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम-2015-2016 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को

अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairman, while making discussion upon fully implementation of the provisions contained in “Annual Programme-2015-16” for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure effective compliance of the said provisions in their sections. (कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी

अनुभाग)

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chairman.

[डॉ. एस. निर्मल कुमार / Dr. S. Nirmal Kumar]

निदेशक / Director

## अनुलग्नक "क"/ Annexure-A

दिनांक 25 फरवरी, 2015 को अयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 102 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची / List of members' present in the 102<sup>nd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 25<sup>th</sup> Februray, 2015.

क्रसं Sl.No.	नाम/Name	पदनाम/Designation	
1.	डॉ. एस. निर्मल कुमार / Dr. S. Nirmal Kumar	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	श्री. एम. के. मजुमदार / Shri M. K. Majumdar	वैज्ञानिक- ई/ Sc.-E	सदस्य/Member
3.	डॉ. अतुल कुमार साहा / Dr. A.K.Saha	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. सुखेन राय चौधुरी / Dr. S. R. Choudhary	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. एम. के. घोष / Dr. M. K. Ghosh	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	डॉ. एस. के. मंडल / Dr. S. K. Mandal	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
7.	डॉ. पी. के. तिवारी / Dr. P. K. Tiwari	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
8.	डॉ. यू. के. बंधोपाध्याय / Dr. U. K. Bandhopadhyay	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
9.	डॉ. एस. श्रीकुमार / Dr. S. Srikumar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
10.	डॉ. एस. के. मुखोपाध्याय / Dr. S. K. Mukhopadhyay	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
11.	डॉ. जलजा एस. कुमार / Dr. Jalja S. Kumar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
12.	डॉ. रीता बनर्जी / Dr. Rita Banerjee	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
13.	डॉ. एन. सुरेश कुमार / Dr. N. S. Kumar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
14.	डॉ. ए. के. वर्मा / Dr. A. K. Verma	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
15.	श्री जी. सी. दास / Shri G. C. Das	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
16.	श्री आर. बी. चौधरी / Shri R. B. Chaudhary	सहा. निदे. / AD [OL]	आयोजक/Convener
17.	श्री मानस कुमार राय/Shri M. K. Roy	सहा. निदे. / AD [A&A]	सदस्य/Member
18.	श्री मीर मंजुर अली/Shri M. M. Ali	सहा. निदे. / AD [A&A]	सदस्य/Member
19.	श्री पी. के. महापात्र / Shri P. K. Mahapatra	सहा. निदे. / AD [Comp.]	सदस्य/Member
20.	श्री जी.आर.वेंकट रेड्डी/ Shri G. R. Venkat Reddy	सहा. कार्य.अभि./ AEE	सदस्य/Member
21.	श्रीमती आर. विश्वास सिन्हा / Smt. R V. Sinha	अधीक्षक/Sup.	सदस्य/Member
22.	श्री एस. के. राय / Shri S. K. Roy	व.त.स. / S.T.A.	सदस्य/Member
23.	श्री सी. के. साव / Shri C. K. Shaw	क.अ.(हिंदी)/Jr.Tr.(Hin)	सदस्य/Member
24.	श्री पी. सी. बर्मन / Shri P. C. Burman	आशुलिपिक / Steno	सदस्य/Member
25.	श्रीमती डी ब्रह्मादास / Smt. D. Brahma Das	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
26.	श्री बिपद कर्मकार / Shri B. Karmakar	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
27.	श्री संचयन चक्रवर्ती / Shri S. Chakraborty	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
28.	श्री देवाशीष आचार्य / Shri D. Acharya	त.स. / T.A.	सदस्य/Member
29.	श्रीमती मंजू शर्मा/ Smt. M. Sharma	निश्रेत्ति / LDC	सदस्य/Member